सोने पर 90 फीसदी कर्ज देने से बैंकों पर जोखिम बढ़ेगा

मुंबई। रेटिंग एजेंसी ब्रिकवर्क रेटिंग्स ने शुक्रवार को कहा कि सोने पर 90 फीसदी कर्ज देने का आरबीआई का फैसला बैंकों पर जोखिम बढ़ा सकता है। कर्जधारक की ओर से गिरवी रखा सोना या आभूषण इस कर्ज की मूल राशि और ब्याज को रिकवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

आरबीआई ने सोने का लोन टू वैल्यू (एलटीवी) 75 फीसदी से बढ़ाकर 90 फीसदी कर दिया है। यह सुविधा 31 मार्च, 2021 तक दी जाएगी। ब्रिकवर्क के निदेशक विद्यानाथन रामास्वामी ने कहा कि यह कदम महामारी में ग्राहकों को पूंजी उपलब्ध कराने के लिए तो सही है लेकिन जब अधिकतर लोग सोना गिरवी रखकर कर्ज लेंगे तो बैंकों के पास पूंजी तरलता बहुत बढ़ जाएगी। इससे बैंकों का कुल जोखिम बढ़ जाएगा, क्योंकि गिरवी रखा सोना कर्ज की मूल राशि और ब्याज की भरपाई नहीं कर सकेगा। अगर महामारी बीतने के बाद सोने के भाव में बड़ी गिरावट आती है तो बैंकों पर कर्ज एनपीए होने का जोखिम रहेगा। एजेंसी